छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, रायपुर

क्रमांक 1006/716/2018/ग्रामो.   अटल नगर, दिनांक 30.05.2018

प्रति,

संचालक,
ग्रामोद्योग संचालनालय
हाथकरघा प्रभाग
नया रायपुर

विषय-: ''**हाथकरघा क्षेत्र में पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायता योजना नियम-2018** (प्रस्तावित) की स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ-: आपका पत्र क्र./हा./तक./2018-19/1099 दिनांक 28.04.2018

--0--

राज्य शासन एतद् ''**हाथकरघा क्षेत्र में पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायता योजना नियम-2018''** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियम की प्रति संलग्न है।

उक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक F-2018-48-00447 दिनांक 10.04.2018 द्वारा दी गई है।

-सही-
(एस0एल0आदिले)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
ग्रामोद्योग विभाग

पृ0क्रमांक /716/2018/ग्रामो.   अटल नगर, दिनांक .05.2018

प्रतिलिपि -

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर उनके पत्र कम्प्यूटर क्रमांक F-2018-48-00447 दिनांक 10.04.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।

-सही-
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
ग्रामोद्योग विभाग

हाथकरघा क्षेत्र में पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायता
योजना नियम – 2018

1. प्रस्तावना :–

छ.ग.शासन ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर हाथकरघा क्षेत्र में पुरस्कृत बुनकर तथा पुरस्कृत बुनकर की मुत्यु पश्चात आश्रित पति/पत्नि को आर्थिक रूप से संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप मासिक आर्थिक सहायता प्रस्तावित है।

2. नियम :–

यह नियम ''हाथकरघा क्षेत्र में पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायता योजना नियम 2018'' कहलायेगा।

3. परिभाषाएँ :–

इन नियमों के प्रयोजन के लिए –

1. राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकर से तात्पर्य प्रदेश के ऐसे बुनकर जिन्हे हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई/उत्पादन के लिए राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
2. पुरस्कृत बुनकर के ऊपर आश्रित पति/पत्नि से तात्पर्य पुरस्कृत बुनकर की मृत्यु के पश्चात मासिक आर्थिक सहायता देय होगा।
3. पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायता से तात्पर्य राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत ऐसे बुनकर जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।

4. योजना का उद्देश्य :–

प्रदेश के राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर को 60 वर्ष या इससे अधिक आयु पश्चात उन्हे तथा पुरस्कृत बुनकर की मृत्यु पश्चात, उसके ऊपर आश्रित पति/पत्नि आर्थिक रूप से संरक्षण प्रदान करना है।

5. मासिक आर्थिक सहायता की सीमा :–

प्रदेश के राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकर जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, उन्हे प्रति माह 5000/– मासिक आर्थिक सहायता तथा पुरस्कृत बुनकर की मृत्यु पश्चात उनके ऊपर आश्रित पति/पत्नि को आर्थिक रूप से संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रतिमाह राशि 3000/– मासिक प्रोत्साहन स्वरूप सहायता देय होगी।

6. मासिक आर्थिक सहायता हेतु पात्रता :–

उक्त योजनान्तर्गत सहायता हेतु पात्रता की शर्ते निम्न श्रेणी–

1. प्रदेश के ऐसें बुनकर जिन्हे हाथकरघा बुनाई हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया हो और जिसकी आयु 60 या इससे अधिक हो।

2. पुरस्कृत बुनकर के परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय प्रतिवर्ष 2.00 लाख से अधिक न हो।
3. पुरस्कृत बुनकर 60 वर्ष की आयु तक हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई का कार्य किया हो।
4. पुरस्कृत बुनकर की 60 वर्ष की आयु के पहले आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके ऊपर आश्रित पति/पत्नि को उपर्युक्त सहायता हेतु 60 वर्ष की आयु सीमा से छूट होगी।
5. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पुरस्कृत बुनकर को लाभ मिलेगा।
6. बुनकर की आयु सीमा शिक्षा प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र में उल्लेखित आयु मान्य की जावेगी । आयु में विवाद की स्थिति निर्मित होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व स्तर पर प्रमाणीकरण को मान्य किया जावेगा।
7. पुरस्कृत बुनकर,केन्द्र/राज्य शासन के किसी भी एक संस्थान से मासिक आर्थिक सहायता लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि पुरस्कृत बुनकरको किसी अन्य विभाग से मासिक आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
8. इस योजना में उल्लेखित नियम एवं शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित हितग्राही को तत्काल प्रभाव, सहायता से वंचित किया जावेगी।
9. क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा सहायता राशि पात्र पुरस्कृत बुनकर के बैंक खाता में सीधे हस्तातंरण किया जावेगा।

7. योजना की स्वीकृति :-

उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा को होगा।

8. योजना के क्रियान्वयन हेतु एजेन्सी :-

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकरी संघ नोडल एजेन्सी होगी।

9. योजन के लाभ हेतु आवेदन :-

मासिक आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत संबंधित पुरस्कृत बुनकर के आवेदन पत्र जिला हाथकरघा कार्यालय में जमा होंगे। अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त आवेदन संचालक, ग्रामोद्योग को अनुशंसा सहित प्रेषित किये जावेगे। राज्य स्तर पर आवेदनों का परीक्षण उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ को भेजा जायेगा।

10. योजना की मानिटरिंग :-

उक्त योजना क्रियान्वयन की मानिटरिंग हेतु संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जावेगी, जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1.	संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा	- अध्यक्ष।
2.	प्रबंध संचालक/उनका प्रतिनिधि अपेक्स बुनकर संघ	- सदस्य।
3.	संयुक्त संचालक हाथकरघा	- सदस्य।
4.	उप संचालक हाथकरघा मुख्यालय	- सदस्य सचिव।

11. योजना के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में :-

उक्त योजना के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा का निर्णय अंतिम होगा। जो सभी पक्षो के लिए बंधनकारी होगा।

12. योजना में संशोधन :-

हाथकरघा क्षेत्र के बुनकरो को मासिक आर्थिक सहायता योजना नियम में आवश्यकतानुसार, परिवर्तन,परिवर्धन,संशोधन आदि का अधिकार प्रशासकीय विभाग में निहित होगा। जो सभी पक्षो की लिए बंधनकारी होगा।

सही
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर रायपुर